

समापन भाषण

माननीय सदस्यगण,

पंचदश बिहार विधान सभा का पंचदश सत्र दिनांक 19 दिसम्बर, 2014 से प्रारम्भ होकर आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2014 को समाप्त हो रहा है। इस सत्र में कुल-05 (पाँच) बैठकें हुईं।

सत्र के प्रथम दिन बिहार विधान सभा में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित तथा चतुर्दश सत्रोपरांत महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अनुमत 01 (एक) विधेयक एवं महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमत 06 (छः) विधेयकों का एक विवरण सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया।

प्रभारी सचिव द्वारा बिहार विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरहता) नियम 1986 के नियम 8(2) के तहत भारत के संविधान के अनुच्छेद 191(2) एवं उसकी दसवीं अनुसूची के पारा 2(1)(क) तथा बिहार विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरहता) नियम 1986 के अधीन चार सभा सभासदों के निरहित होने की सूचना सदन को दी गई।

08 (आठ) जननायकों के निधन तथा पाकिस्तान के पेशावर में स्कूली बच्चों की नृशंस हत्या पर शोक-प्रकाश किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 को (i) माननीय प्रभारी मंत्री, गृह (विशेष) विभाग द्वारा मधुबनी पुलिस फायरिंग न्यायिक जाँच आयोग से प्राप्त प्रतिवेदन Volume-1 तथा प्रतिवेदन पर विभाग द्वारा समर्पित कृत कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन (ATR) की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखी गई (ii) माननीय प्रभारी मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का प्रतिवेदन, 2014 एवं उस पर सरकार का व्याख्यात्मक संलेख की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखी गई (iii) प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-2015 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी को सदन पटल पर रखी गई तथा संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित भारत का संविधान (121वाँ संशोधन) विधेयक, 2014 के अनुसमर्थन का राजकीय संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया।

दिनांक 23 दिसम्बर, 2014 को माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के द्वितीय तिमाही के प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी एवं माननीय प्रभारी मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम का वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में बिहार सरकार का 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन “राजस्व प्रक्षेत्र” वित्त लेखे (खण्ड-1 एवं 2) तथा “विनियोग लेखे” की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखी गई तथा सदन द्वारा जनता में विक्री का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रभारी मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का वर्ष 2012-13 का वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखी गई ।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित गृह विभाग के अनुदान की माँग वाद-विवाद के उपरान्त स्वीकृत हुआ एवं शेष माँगे गिलोटिन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत किये गये । तदुपरान्त बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2014 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

भारत के अनमोल रत्न तथा जय विज्ञान के सूत्रदाता, विशाल हृदय के धनी एवं संसदीय प्रणाली के प्रेरणादाता श्री अटल बिहार वाजपेयी तथा स्वतंत्रा सेनानी एवं बहु-आयामी व्यक्तित्व के धनी स्व० पं० मदन मोहन मालवीय को देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान “भारत रत्न” देने की घोषणा के लिए मैं अपनी ओर से एवं पूरे सदन की ओर से भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी को धन्यवाद देता हूँ ।

सत्र के दौरान कुल- 673 प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई, जिनमें 446 प्रश्न स्वीकृत हुए । स्वीकृत प्रश्नों में 11 अल्पसूचित, 319 तारांकित एवं 116 अतारांकित थे । इन स्वीकृत प्रश्नों में से 20 प्रश्न उत्तरित हुए एवं 38 प्रश्नोत्तर सभा पटल पर रखे गये । 08 प्रश्न अपृष्ठ एवं 378 प्रश्न अनागत हुए ।

सत्र के दौरान कुल- 89 गैर सरकारी संकल्प की सूचना पर सदन में विचार-विमर्श हुआ ।

सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से जनहित के मामले उठाये गये तथा बिहार विधान सभा की विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गये ।

इस सत्र में कुल- 88 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 74 स्वीकृत हुए एवं 14 अस्वीकृत हुए । कुल-19 याचिकाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 15 स्वीकृत एवं 04 अस्वीकृत हुए । इस सत्र में कुल- 78 ध्यानाकर्षण सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 08 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए तथा 62 सूचनाएँ लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गये एवं 08 अमान्य हुए ।

सत्रावधि के दौरान भागलपुर एवं पटना जिलान्तर्गत विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं ने सदन के अन्तराल के पहले एवं बाद की कार्यवाही को देखा ।

इस सत्र में प्रश्नकाल का पटना दूरदर्शन द्वारा डेफर्ड प्रसारण किया गया तथा सम्पूर्ण कार्यवाहियों की रिकॉर्डिंग भी की गयी जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है । इन कार्यों में जुड़े कर्मचारी एवं पदाधिकारीगण धन्यवाद के पात्र हैं ।

सत्र के संचालन में भरपूर एवं सौहार्दपूर्ण सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, नेता, विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष-प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों का मैं आभारी हूँ । पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूरदर्शन एवं आकाशवाणी ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही को ले जाने का जो सराहनीय कार्य किया, उसके लिए उन्हें मैं साधुवाद देता हूँ ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित आरक्षी बल के जवानों ने जिस तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कुशलतापूर्वक किया, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

आज इस सत्र का समापन ही नहीं हो रहा है, बल्कि वर्ष 2014 का भी अवसान होने वाला है । क्रिसमस एवं नववर्ष के शुभागमन की बेला में मैं प्रदेश की जनता एवं आप सभों के उम्मत भविष्य तथा सुखद जीवन की मंगल कामना करता हूँ ।

अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित की जाती है ।